न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

निर्णय दिनांक 27.04.2026

मुकदमा नम्बर 71/2025
ऑनलाईन नम्बर 2025/144

शांति पत्नी भैराराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
—वादिनी—

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर 2. चूनाराम 3. टिकू 4. भैराराम 5. मेघाराम 6. लिछमण पुत्रगण आसूराम 7. धापू 8. मंजू 9. काली 10. गुडू पुत्रियां पूर्णाराम जातियान जाट निवासीगण सुरजनसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
—प्रतिवादीगण—

—उपस्थितिः—
1. श्री पूनमचन्द मारू अभिभाषक वादिनी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 भू—राजस्व अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी की ओर दावा निम्न प्रकार से सादर प्रस्तुत है कि वादिनी की पहले पूर्णाराम पुत्र आसूराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के साथ विवाह हुआ था। जिससे वादिनी के प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 पैदा हुये। वादिनी का बोलता नाम संतोष है, जबकि वादिनी का वास्तविक नाम शांति है। वादिनी के पूर्व पति पूर्णाराम से वादिनी के प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 पैदा हुये । वादिनी के पूर्व पति पूर्णाराम की मृत्यु दिनांक 24.02.1998 को हो गई। वादिनी के पूर्व पति पूर्णाराम की मृत्यु के समय वादिनी की उम्र कम थी, इसलिये सामाजिक परम्परा अनुसार वादिनी ने अपने देवर भैराराम पुत्र आसूराम जाति जाट निवासी सुरजनसर के साथ नाता (पुर्नविवाह) कर दिया और वादिनी भैराराम की विवाहित पत्नी हो गई। वादिनी के पूर्व पति पूर्णा राम की मृत्यु के बाद खेत खसरा नम्बर 984 तादादी 18.7900 हैक्टेयर रोही उदरासर व खसरा नम्बर 164 तादादी 2.4500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 63 तादादी 17.5800 हैक्टेयर रोही सुरजनसर में पूर्णाराम के हिस्से पांति की भूमि का नामान्तरण वादिनी व पूर्णाराम की पुत्रियां प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 के नाम दर्ज हो गया। पूर्णाराम की मृत्यु के बाद वादिनी के सही नाम शांति की जगह संतोष नाम उपरोक्त वर्णित खेत की खातेदारी में दर्ज हो गया, जबकि वादिनी का सही नाम शांति है। पूर्णाराम की मृत्यु के बाद उसके हिस्से की जमीन का इन्तकाल दर्ज करते समय वादिनी का नाम शांति बैवा पूर्णाराम होना चाहिये था, परन्तु इस नाम से इन्तकाल दर्ज होने के बजाय वादिनी के बोलता नाम संतोष पत्नी पूर्णाराम के नाम दर्ज कर दिया गया यानि वादिनी का सही नाम शांति है, संतोष तो वादिनी का बोलता नाम है। वादिनी ने पूर्णाराम की मृत्यु के बाद अपने देवर भैराराम प्रतिवादी संख्या 4 के साथ नाता (पुर्नविवाह) कर लिया। भैराराम से पुर्नविवाह कर लेने से वादिनी का नाम शांति पत्नी भैराराम हो गया। वादिनी के वर्तमान में समस्त दस्तावेज में वादिनी का नाम शांति पत्नी भैराराम दर्ज है तथा पूर्व के दस्तावेज में वादिनी का नाम शांति पत्नी पूर्णाराम नाम अंकित है। वादिनी का सही नाम भी शांति ही है। राजस्व रेकार्ड में वादिनी का नाम, वादिनी के अन्य दस्तावेज में विपरित दर्ज होने से वादिनी

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

को काफी कठिनाई हो रही है। वादिनी अपनी जमीन पर किसी किसी प्रकार का ऋण, के.सी. सी. नहीं बना सकती किसी भी सरकारी योजना का लाभ वादिनी को नहीं मिल रहा है। राजस्व रेकार्ड में वादिनी का बोलता नाम संतोष दर्ज है, जबकि वादिनी का सही नाम शांति है। भैराराम से विवाह कर लेने से वादिनी का नाम शांति पत्नी भैराराम हो गया है, इसलिये वादिनी राजस्व रेकार्ड में अपना नाम संतोष पत्नी पूर्णाराम की जगह शांति पत्नी भैराराम दर्ज करवाना चाहती है। जिसके लिये वादिनी ने प्रतिवादी संख्या 1 से निवेदन किया कि खेत खसरा नम्बर 984 तादादी 18.7900 हैक्टेयर रोही उदासर, खसरा नम्बर 164 तादादी 2.4500 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 63 तादादी 17.5800 हैक्टेयर रोही सुरजनसर की खातेदारी में उसका सही नाम शांति पत्नी भैराराम (बैवा पूर्णाराम) दर्ज कर दिया जावे तो प्रतिवादी संख्या 1 ने पहले तो कहा कि देखते है, हम क्या कर सकते है, फिर दिनांक 28.03.2025 को वादिनी का नाम संतोष की जगह शांति व वादिनी का सही नाम शांति पत्नी भैराराम दर्ज करने से इन्कार कर दिया। यही दावा का हेतु है। वादिनी पूर्णाराम की पत्नी होने से वादिनी का नाम उक्त खेतो के राजस्व रेकार्ड में पूर्णाराम की वारिस होने से दर्ज किया गया, परन्तु उस समय वादिनी का सही नाम शांति की जगह बोलता नाम संतोष दर्ज कर दिया गया, बाद में वादिनी ने सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार अपने देवर भैराराम पुत्र आसूराम से विवाह कर लिया, इसलिये वादिनी का नाम शांति पत्नी भैराराम हो गया, इसलिये वादिनी उक्त खेतो में दर्ज अपने नाम को दुरुस्त करवाने की अधिकारिणी है। पूर्णाराम के वारिस के तौर पर वादगत खेतो में स्थित पूर्णाराम के हिस्सा पांति की जमीन का विरास्तन इन्तकाल वादिनी व प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 के नाम दर्ज हो गया। वादगत खेत खसरा नम्बर 984 तादादी 18.7900 हैक्टेयर वाकेरोही उदरासर में वादिनी के नाम 1/30 हिस्से की खातेदारी, खसरा नम्बर 164 तादादी 2.4500 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 63 तादादी 17.5800 हैक्टेयर रोही सुरजनसर की खातेदारी में वादिनी के नाम 5/84 हिस्सा की खातेदारी दर्ज है व उक्त वर्णित खेतो में वादिनी का गलत नाम संतोष पत्नी पूर्णाराम दर्ज है, जबकि वादिनी का सही नाम शांति ही है तथा पूर्णाराम की मृत्यु के बाद विरास्तन इन्तकाल में वादिनी का नाम शांति पत्नी पूर्णाराम दर्ज होना चाहिये था, पूर्णाराम की मृत्यु के बाद वादिनी ने अपने देवर भैराराम के साथ विवाह कर लिया, इसलिये वादिनी का अब नाम शांति पत्नी भैराराम हो गया, इसलिये वादगत खेतो की खातेदारी में वादिनी अपना नाम संतोष पत्नी पूर्णाराम की जगह शांति पत्नी भैराराम दर्ज करवाना चाहती है, जिसके लिये यह घोषणात्मक व रेकार्ड दुरूस्ती का दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा है, सह खातेदार होने से पक्षकार बनाया गया है। स्टेट के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने हेतु धारा 80 सी.पी.सी. के तहत दो माह का नोटिस दिया जाने का प्रावधान है, अभी गांवो में किसान कार्ड के शिविर लग रहे है, सरकार द्वारा जो किसानो बाबत शिविर लगाये जा रहे है, उनके जमाबन्दी से दर्ज अंकन के अनुसार ही आगे प्रविष्टि की जाती है, इसलिये वादिनी का दावा अर्जेन्ट नेचर का है, इसलिये धारा 80 (2) सी.पी.सी. के तहत नोटिस की अनिवार्यता से छूट प्राप्त कर दावा पेश किया जा रहा है। स्टेट के विरूद्ध ऐसा कोई अनुतोष नहीं चाहा, जो उसके हितो के विरूद्ध हो। दावा घोषणात्मक व रेकार्ड दुरूस्ती का है, जो निर्धारित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत किया जा रहा है। दावा हर तरह से अन्दर मियाद में है। दावा न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

का है। अतः दावा वादिनी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादिनी का दावा निम्नानुसार सादर डिक्री फरमाया जावे रू–

(क) कि नम्बर 984 तादादी 18.7900 हैक्टेयर रोही उदरासर, खसरा नम्बर 164 तादादी 2.4500 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 63 तादादी 17.5800 हैक्टेयर रोही सुरजनसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ की खातेदारी में वादिनी का नाम संतोष पत्नी पूर्णाराम जाति जाट सा. देह खातेदार की जगह शांति पत्नी भैराराम जाति जाट सा.देह खातेदार घोषित कर राजस्व रेकार्ड में तद्नुसार दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी संख्या 1 को फरमाया जावे।

(ख) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादिनी हो या दौराने दावा हितकर वादिनी हो जावे, आज्ञाप्त फरमाया जावे।

(ग) कि खर्चा मुकदमा वादिनी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

वादिनी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज द्वारा जवाबदावा पेश किया गया। वादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) सी.पी.सी पेश किया गया। वादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 10 के नाम विलोपित किये जाने का आदेश दिया गया। वाद में विवाद्यक बिन्दु नहीं होने के कारण तनकीहात कायम नहीं की गई। वादिनी की ओर से साक्ष्यवादी PW-1 में स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया। वादिनी के बयान लेखबद्ध किये गये व वादिनी द्वारा दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। जिरह पैरोकारराज शून्य। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को वादिनी वाद स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होने व वादिनी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 984 तादादी 18.7900 हैक्टेयर रोही उदरासर, खसरा नम्बर 164 तादादी 2.4500 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 63 तादादी 17.5800 हैक्टेयर रोही सुरजनसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादिनी का नाम "सन्तोष पत्नी पूर्णाराम" के स्थान पर "शांति पत्नी भैराराम" घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)